GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

RBE NO. 21 /2003

No.E(MPP)2002/13/3 New Delhi, dated 24.01.2003

The General Manager
Central Railway,Mumbai
Eastern Railway, Kolkata
Northern Railway, New Delhi
North Eastern Railway, Gorakhpur
Southern Railway, Chennai
South Central Railway, Secunderabad
South Eastern Railway, Kolkata
Western Railway, Mumbai

Sub:- Monetary incentive in the form of Training Allowance to faculty members deputed to Group 'C & 'D' Technical Training Centres.

Kindly refer to this Ministry's letter No.E(MPP)95/19/6 dated 25.02.2000(RBE No. 26/2000) wherein sanction of the Ministry of Railways was communicated for grant of training allowance to the various training centres.

2. The Ministry of Railways had been considering the question of extending the benefit of grant of training allowance to the Faculty Members of other training centres. It has now been decided that faculty members, both gazetted and non-gazetted, drawn on deputation from the field for the purpose of imparting training in the following 91 training centres may be granted Training Allowance @ 15% in terms of extant orders: -

S.NO	NAME OF THE TRG. CENTRE
	CENTRAL RAILWAY
1	ATC/BSL/CR
2	ATC/KALYAN/CR
3	ATC/DAMOH/CR
4	BTC/MANMAD/CR
5	ATC/AJNI/CR

6 ATC/JHANSI/CR
7 BTC/MUMBAI/CR
8 BTC(LOCO)/BSL/CR
9 BTC(C&W)/BSL/CR
10 BTC(LOCO)JHS/CR
11 BTC(C&W)JHS/CR
12 BTC(C&W)AJNI/CR
13 BTC(C&W)/MTN/CR
14 BTC(ELECT)MATUNGA/CR
15 BTC(LOCO)PAREL/CR
16 BTC/NASIK/CR
17 BTC(DSL)KURLA/CR
18 BTC(LOCO)JBL/CR
19 BTC/NEW KATNI/CR
20 TTC/BHOPAL/CR

EASTERN RAILWAY

21 BTC/JMP/ER
22 P.WAY/MGS/ER
23 P.WAY/DHN/ER
24 C&W TRG CENTRE/DHN/ER
25 C&W TRG CENTRE/TIKIAPARA
26 TTC/METRO/KOLKATA

NORTHERN RAILWAY

27 THERMIT PLANT/LKO/NR
28 C&W/TRG.CENTRE/ALD/NR
29 C&W/TRG.CENTRE/KANPUR/NR
30 C&W/TRG.CENT/REWARI/NR
31 C&W/TRG.CENT/GZB/NR
32 C&W/TRG.CENT/ASR/NR
33 C&W/TRG.CENT/JAGADHARI/NR
34 C&W/TRG.CENT/LKO/NR
35 C&W/TRG.CENTRE/UMB/NR
36 BTC(C&W)/ASR/NR
37 BTC(C&W)/LKO/NR
38 BTC/BKN/NR
39 BTC/JUDW/NR
40 BTC/JODHPUR/NR
41 TPT/SHAJAHAPUR/NR
42 TPT/KKDE/NR
43 TPT/JODHPUR/NR
44 TPT/SUBEDARGANJ/NR

45 TPT/LKO/NR
46 TPT/FZR/NR
47 TPT/KALKA/NR
48 PWAY/TRG.CENT/SHAMLI/NR
49 PWAY/TRG.CENT/JALNDHAR/NR
50 PWAY/TRG.CENT/HARIDWAR/NR
51 PWAY/TRG.CENT/JAGADHRI/NR
52 PWAY/TRG.CENT/LKO/NR
53 PWAY/TRG.CENT/JODHPUR/NR
54 PWAY/TRG.CENT/SADLPUR/NR
55 PWAY/TRG.CENT/ALD/NR
56 PERSONNEL BRANCH TRG CENTRE/JODHPUR
57 NDT TRG CENTRE/RDSO LKO

NORTH EASTERN RAILWAY

58 BTC/GKP/NER
59 BTC/IZATNAGAR/NER

SOUTHERN RAILWAY

60 BTC/ERODE/SR
61 BTC/PERAMBUR/SR
62 TPT/SHORANUR/SR
63 TPT/ERODE/SR
64 TPT/VILLUPURAM/SR
65 P.WAY/PALGHAT/SR
66 P.WAY/VILLUPURAM/SR
67 TTC/ELECT/PERUMBER
68 TRACTION TRG. CENTRE/ TAMBRAM/SR

SOUTH CENTRAL RAILWAY

69 C&W/DHARWAR/SCR
70 C&W TRG. CENTRE/MIRAJ
71 BTC/HUBLI
72 BTC(C&W)/VIJAYWADA/SCR
73 BTC/LALLAGUDA/SCR
74 BTC/GUNTAPPALI/SCR
75 ATC(OPTG.)/KCG/SCR

SOUTH EASTERN RAILWAY

76 TPT/ADRA/SER
77 ELECT LOCO TRG CENTRE BILASPUR/SER

WESTERN RAILWAY

78 BTC/C&W)/LOWER PAREL/WR
79 BTC/(C&W)/DAHOD/WR
80 BTC/KOTA/WR
81 BTC/(C&W)AJMER/WR
82 BTC/(LOCO)AJMER/WR
83 ATC/KOTA/WR
84 ATC/VALSAD/WR
85 ATC/BANDIKUI/WR
86 ATC/MHOW/WR
87 ATC/JUNAGADH/WR
88 ATC/AJMER/WR
89 ATC/LOWER PAREL/WR
90 ATC/BARODA/WR
91 ATC/BANDRA/WR

3. Training Centres being managed by SR.DME/DME/AME/AEE/ ASTE/etc. should in the first instance be redesignated as Principals and since management of training institutes is a full time job, it is necessary that the incumbent to the post of Principals should be put exclusively on these assignments. Principals of these training centres would, therefore, be eligible for grant of training allowance after these posts are held by them on full time basis and after the selection is made in the manner as detailed in para 5(g) below.

4. With a view to enable the Principals of these training centres to give due attention to training and to exercise a proper supervision, it is also necessary that these Principals should be physically located in these centres. The grant of 15% training allowance to the faculty is subject to the SR.DME/ DME/AME/AEE/ASTE/etc assuming full administrative charge of the training centres. They will in effect relieve the Chief Instructor of all administrative functions who will then carry out direct training to staff.

5. The following guidelines should be observed for sanction of the Training Allowance:-

(a) Faculty members, both gazetted and non-gazetted, who are drawn on deputation from the field and whose duty is to impart training/education to the trainees may be granted "Training Allowance" at the rate of 15% of the basic pay in the revised scales of pay;

(b) Consequent to the grant of "Training Allowance" as mentioned in para (a) above, the existing training allowance, special pay, deputation pay and allowances thereon will not be admissible to the faculty members drawn on deputation to these training centres.

(c) Faculty means "An employee" of the Government who joins a training institute meant for training government officials as a faculty member and whose work is to impart training/teaching. This will also include the principals of these training institutes. However, Faculty members recruited directly and specifically for the training institutions are not eligible for this "Training Allowance"

(d) Staff, whether on deputation from the field or transferred or locally recruited, who are not directly engaged in imparting training/education will not be eligible for the "Training Allowance"

(e) Training Allowance will be admissible to the faculty members without any ceiling and will not form the part of pay as defined in FR(9) (21) (2003(21))-R-II, but however, will count for Purpose of leave salary.

(f) Deputation period of faculty Members shall not exceed eight years in any case and under any circumstances.

(g) The admissibility of the allowance in each individual case will be examined by a Committee at appropriate level to be constituted as per Board's letter No.E(MPP)2001/19/3-Recommendation No.37 dated 29.6.2001(RBE No. 127/2001). These committees would adopt a strict selection process to find excellent trainers for such appointments. The guidelines for such selection should not only take into account the outstanding service records but also good training capability and aptitude for the job. Regard should also be given for participation in trainers training course, keenness of interest taken by the officials in providing requisite training to their subordinates in the various jobs held by them and to their performance in their earlier assignment, if any, in posts relating to training. The above instructions should be read with Board's letter No.E(MPP)86/13/2 dated 16.11.1990. It should be ensured that before the training centre/school and trainers are sanctioned this allowance, they must satisfy the above guidelines. The trainers not recommended by the Committee should be repatriated to their respective parent cadres. Adhoc appointees will not be allowed this Training Allowance till they are regularised.

6. These orders will take effect from 1.1.2003.

7. It is further clarified that until such time the screening is done and the Faculty Members not found fit are repatriated to their respective parent cadres, such persons who have worked as Faculty Members on deputation may be allowed Training Allowance from the date of joining or 1.1.2003 whichever is later, till the date of reversion.

8. This has the sanction of the President and issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

(P. ANANTH)
Joint Director(MPP)
Railway Board.

No.E(MPP)2002/13/3 New Delhi, dated 24.01.2003

Copy forwarded for information to

1. ADAI(Rlys.), New Delhi (with 10 spares).
2. FA&CAOs, CR, ER, NR, NER, SR, SCR, SER, WR and WAP

For Financial Commissioner/ Railways.

No.E(MPP)2002/13/3 New Delhi, dated 24.01.2003

Copy forwarded for information to: -

1. The General Secretary, NFIR, 3 Chelmsford Road, New Delhi for information with 35 spares.
2. The General Secretary, AIRF, 4 State Entry Road, New Delhi for information with 35 spares.
3. The Secretary General, FROA, R.No.256-A, Rail Bhawan, New Delhi for information with 5 spares.
4. The Secretary General, IRPOF, R.No.268, Rail Bhawan, New Delhi for information with 5 spares.

5. All Members, Departmental Council and National Council and Secretary Staff Side National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi(90 spares)
6. The Secretary General, All Indian RPF Association, Room No.256, Rail Bhawan, New Delhi-110 001 for information with 5 spares.

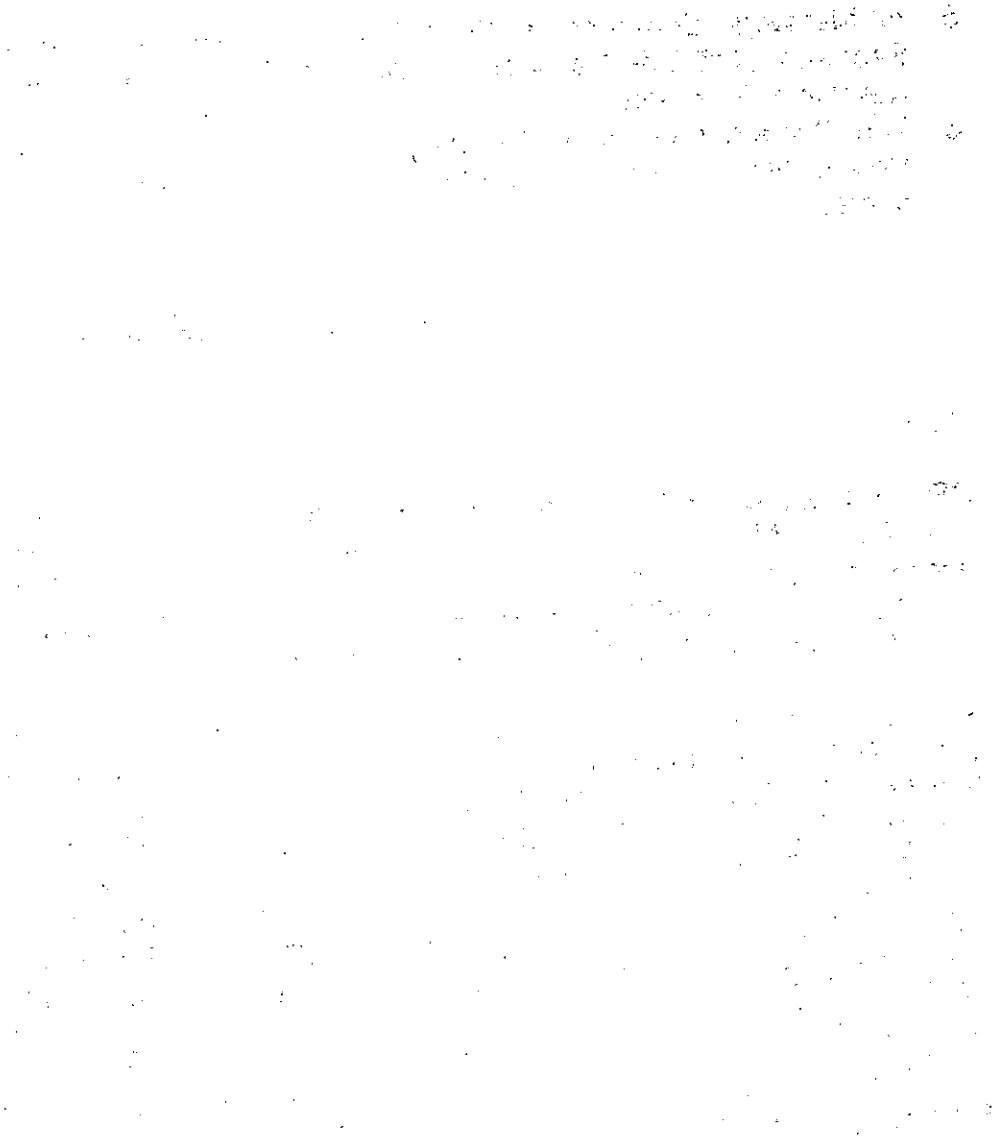
For Secretary/Railway Board.

Copy to:-

CRB, FC, ML, ME, MM, MS, MT, DG(RHS), DG(RPF),AM(Budget), AM(CE), AM(C&IS), AM(Comml.), AM(Elect.), AM(Fin.), AM(Mech.), AM(Plg.), AM(Project), AM(PU), AM(Sig.), AM(Staff), AM(Rly. Stores), AM(T&C), AM(Telecom.), AM(Tfc.), AM(Works), Adv(Vig.), Adv. Fin(Exp), Adv.(IR), LA , OSD(MIS)

ED(Plg.), ED(Accts.), ED Fin.(BC), EDCE(B&S), EDCE(G), EDCE(Plg.), ED(Coaching), ED(CC), ED(C&IS), ED(E&R), EDEE(Dev.), EDEE(G), EDEE(RS), EDE, ED(RRB), EDE(N), EDE(Res.), EDF, EDF(C), EDF(S), EDF(B), EDF(RM), EDF(X)I, EDF(X)II, ED(H), EDLM, ED(MIS), EDE(GC), ED(Trg.&MPP), EDME(Chg), EDME(Fr.), EDME(Tr.), EDME(TOT),EDME(Dev.), EDME(W), ED(PC)I, ED(PC)II, ED(Plg.), ED(PP), ED(Projects), ED(Projects)/DMRC, ED(RE), EDRE(S&T), EDRE(S), ED(Safety), JS, JS(C), JS(E), JS(G), JS(P), IG/RPF(Hqs), IG/RS, ED(Sig), ED(Stat&Eco), EDRS(C), EDRS(G), EDRS(P), EDRS(S), EDRS(W), ED(TD), EDT(M), EDT(MC),EDT(P), ED(T&C), ED(CP), ED(PM), RD(PG), EDTC(R), EDTC(FM), EDTT(F), EDTT(FM)EDTT(M), EDTT(S), EDV(A), EDV(E), EDV(T),ED(W) .

E(Trg.), E(NG)I, E(NG)II, E(G), FE(I), PC-V, E(LR)I .



भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आर बी ई सं. 21/2003

सं ई (एम पी पी)2002/13 नई दिल्ली, दिनांक 24.01.2003.

महाप्रबंधक,
मध्य रेलवे, मुंबई,
पूर्व रेलवे, कोलकाता,
उत्तर रेलवे, नई दिल्ली,
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर,
दक्षिण रेलवे, चेन्नै,
दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद,
दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता,
पश्चिम रेलवे, मुंबई.

विषय : ग्रुप 'सी' एवं 'डी' तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्रों पर तैनात संकाय सदस्यों को प्रशिक्षण भत्ते के रूप में आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करना.

कृपया इस मंत्रालय के दिनांक 25.2.2000 के पत्र सं. ई (एम पी पी)95/19/6 (आर बी ई सं. 26/2000) का अवलोकन करें जिसमें विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों को प्रशिक्षण भत्ता प्रदान करने के वास्ते रेल मंत्रालय की स्वीकृति संसूचित की गई थी.

2. रेल मंत्रालय द्वारा अन्य प्रशिक्षण केन्द्रों के संकाय सदस्यों को प्रशिक्षण भत्ते का लाभ देने के प्रश्न पर विचार किया गया था. अब यह विनिश्चय किया गया है कि निम्नलिखित 91 प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से क्षेत्रों से प्रतिनियुक्ति पर लिए गए राजपत्रित एवं अराजपत्रित दोनों प्रकार के संकाय के सदस्यों को मौजूदा आदेशों के अनुसार 15% की दर से प्रशिक्षण भत्ता प्रदान किया जाए :

HG-I

क्रम सं.	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम
	मध्य रेलवे
1.	क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र/भुसावल/मध्य रेलवे
2.	क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र/कल्याण/मध्य रेलवे
3.	क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र/दामोह/मध्य रेलवे
4.	आधार प्रशिक्षण केन्द्र/मनमाड/मध्य रेलवे
5.	क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र/अजनी/मध्य रेलवे
6.	क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र/झांसी /मध्य रेलवे
7.	आधार प्रशिक्षण केन्द्र/मुंबई/मध्य रेलवे
8.	आधार प्रशिक्षण केन्द्र(लोको)/भुसावल/मध्य रेलवे
9.	आधार प्रशिक्षण केन्द्र(सी एंड डब्ल्यू)/भुसावल /मध्य रेलवे
10.	आधार प्रशिक्षण केन्द्र(लोको)/झांसी/मध्य रेलवे
11.	आधार प्रशिक्षण केन्द्र(सी एंड डब्ल्यू)/झांसी/मध्य रेलवे
12.	आधार प्रशिक्षण केन्द्र(सी एंड डब्ल्यू)/अजनी/मध्य रेलवे
13.	आधार प्रशिक्षण केन्द्र(सी एंड डब्ल्यू)माटुंगा/मध्य रेलवे
14.	आधार प्रशिक्षण केन्द्र(बिजली)माटुंगा/मध्य रेलवे
15.	आधार प्रशिक्षण केन्द्र(लोको)परेल/मध्य रेलवे
16.	आधार प्रशिक्षण केन्द्र/नासिक/मध्य रेलवे
17.	आधार प्रशिक्षण केन्द्र(डीजल)कुर्ला/मध्य रेलवे
18.	आधार प्रशिक्षण केन्द्र(लोको)जबलपुर/मध्य रेलवे
19.	आधार प्रशिक्षण केन्द्र/न्यू कटनी/मध्य रेलवे
20.	परिवहन प्रशिक्षण केन्द्र/भोपाल/मध्य रेलवे
	पूर्व रेलवे
21.	आधार प्रशिक्षण केन्द्र/जमालपुर/पूर्व रेलवे
22.	मंडल प्रशिक्षण केन्द्र/रेलपथ/मुगलसराय/पूर्व रेलवे
23.	मंडल प्रशिक्षण केन्द्र/धनबाद/पूर्व रेलवे
24.	सवारी और माल डिब्बा प्रशिक्षण केन्द्र/धनबाद/पूर्व रेलवे
25.	सवारी और माल डिब्बा प्रशिक्षण केन्द्र/टिकियापारा
26.	परिवहन प्रशिक्षण केन्द्र/मैट्रो/कोलकाता

उत्तर रेलवे

27. थरमिट संयंत्र/लखनऊ/उत्तर रेलवे
28. सवारी और माल डिब्बा प्रशिक्षण केन्द्र/इलाहाबाद/उत्तर रेलवे
29. सवारी और माल डिब्बा प्रशिक्षण केन्द्र/कानपुर/उत्तर रेलवे
30. सवारी और माल डिब्बा प्रशिक्षण केन्द्र/रिवाड़ी/उत्तर रेलवे
31. सवारी और माल डिब्बा प्रशिक्षण केन्द्र/गाजियाबाद/उत्तर रेलवे
32. सवारी और माल डिब्बा प्रशिक्षण केन्द्र/अमृतसर/उत्तर रेलवे
33. सवारी और माल डिब्बा प्रशिक्षण केन्द्र/जगाधारी/उत्तर रेलवे
34. सवारी और माल डिब्बा प्रशिक्षण केन्द्र/लखनऊ/उत्तर रेलवे
35. सवारी और माल डिब्बा प्रशिक्षण केन्द्र/अंबाला/उत्तर रेलवे
36. आधार प्रशिक्षण केन्द्र(सी एंड डब्ल्यू) अमृतसर/उत्तर रेलवे
37. आधार प्रशिक्षण केन्द्र(सी एंड डब्ल्यू) लखनऊ/उत्तर रेलवे
38. आधार प्रशिक्षण केन्द्र/बीकानेर/उत्तर रेलवे
39. आधार प्रशिक्षण केन्द्र/जे यू डी डब्ल्यू/उत्तर रेलवे
40. आधार प्रशिक्षण केन्द्र/जोधपुर/उत्तर रेलवे
41. टी पी टी/शाहजहांपुर/उत्तर रेलवे
42. टी पी टी/के के डी ई/उत्तर रेलवे
43. टी पी टी/जोधपुर/उत्तर रेलवे
44. टी पी टी/सूबेदारगंज/उत्तर रेलवे
45. टी पी टी/लखनऊ/उत्तर रेलवे
46. टी पी टी/फिरोजपुर/उत्तर रेलवे
47. टी पी टी/कालका/उत्तर रेलवे
48. रेलपथ/प्रशिक्षण केन्द्र/शामली/उत्तर रेलवे
49. रेलपथ/प्रशिक्षण केन्द्र/जालंधर/उत्तर रेलवे
50. रेलपथ/प्रशिक्षण केन्द्र/हरिद्वार/उत्तर रेलवे
51. रेलपथ/प्रशिक्षण केन्द्र/जगाधरी/उत्तर रेलवे
52. रेलपथ/प्रशिक्षण केन्द्र/लखनऊ/उत्तर रेलवे
53. रेलपथ/प्रशिक्षण केन्द्र/जोधपुर/उत्तर रेलवे
54. रेलपथ/प्रशिक्षण केन्द्र/सादुलपुर/उत्तर रेलवे
55. रेलपथ/प्रशिक्षण केन्द्र/इलाहाबाद/उत्तर रेलवे

56. कार्मिक शाखा प्रशिक्षण केन्द्र/जोधपुर
57. एन डी टी प्रशिक्षण केन्द्र/अ.अ.मा.सं./लखनऊ

पूर्वोत्तर रेलवे

58. आधार प्रशिक्षण केन्द्र/गोरखपुर/पूर्वोत्तर रेलवे
59. आधार प्रशिक्षण केन्द्र/इज्जत नगर/पूर्वोत्तर रेलवे

दक्षिण रेलवे

60. आधार प्रशिक्षण केन्द्र/इरोड/दक्षिण रेलवे
61. आधार प्रशिक्षण केन्द्र/पैरम्बूर/दक्षिण रेलवे
62. टी पी टी/शोरानूर/दक्षिण रेलवे
63. टी पी टी/इरोड/दक्षिण रेलवे
64. टी पी टी/विल्लुपुरम/दक्षिण रेलवे
65. रेलपथ/पालघाट/दक्षिण रेलवे
66. रेलपथ/विल्लुपुरम/दक्षिण रेलवे
67. टी टी सी/बिजली/पैरम्बूर
68. कर्षण प्रशिक्षण केन्द्र/ताम्बरम/दक्षिण रेलवे

दक्षिण मध्य रेलवे

69. सवारी और मालडिब्बा/धारवाड़/दक्षिण मध्य रेलवे
70. प्रशिक्षण केन्द्र/मिरज
71. आधार प्रशिक्षण केन्द्र/हुबली
72. आधार प्रशिक्षण केन्द्र(कैरेज एवं वेगन)/विजयवाड़ा/दक्षिण मध्य रेलवे
73. आधार प्रशिक्षण केन्द्र/लालागुडा/दक्षिण मध्य रेलवे
74. आधार प्रशिक्षण केन्द्र/गुंटापल्ली/दक्षिण मध्य रेलवे
75. क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र (परिचालन)/कार्चीगुडा/दक्षिण मध्य रेलवे

दक्षिण पूर्व रेलवे

76. मंडल/टी पी टी/आद्रा/दक्षिण पूर्व रेलवे
77. बिजली लोको टी आर जी केन्द्र/बिलासपुर/दक्षिण पूर्व रेलवे

पश्चिम रेलवे

78. आधार प्रशिक्षण केन्द्र/सदारी और माल डिब्बा/लोअर परेल/पश्चिम रेलवे
79. आधार प्रशिक्षण केन्द्र/(सवारी और माल डिब्बा)/दाहोद/पश्चिम रेलवे
80. आधार प्रशिक्षण केन्द्र/कोटा/पश्चिम रेलवे
81. आधार प्रशिक्षण केन्द्र/सवारी और माल डिब्बा/अजमेर/पश्चिम रेलवे
82. आधार प्रशिक्षण केन्द्र (लोको) अजमेर/पश्चिम रेलवे
83. क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र/कोटा/पश्चिम रेलवे
84. क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र/वलसाड/पश्चिम रेलवे
85. क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र/बांदीकुई/पश्चिम रेलवे
86. क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र/महू/पश्चिम रेलवे
87. क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र/जूनागढ़/पश्चिम रेलवे
88. क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र/अजमेर/पश्चिम रेलवे
89. क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र /लोअर परेल/पश्चिम रेलवे
90. क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र /बड़ौदा/पश्चिम रेलवे
91. क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र/बांदरा /पश्चिम रेलवे

3. वरिष्ठ डी एम ई/डी एम ई/ए एम ई/ए ई ई/ए एस टी ई आदि द्वारा चलाए गए प्रशिक्षण केन्द्रों को प्रथमत: प्रिंसिपल के रूप में पुन: पदनामित किया जाए और क्योंकि प्रशिक्षण संस्थानों का प्रबंधन पूर्णकालिक कार्य है, यह आवश्यक है कि प्रिंसिपलों के पद के पदधारी को केवल इन्हीं कार्यों के लिए रखा जाए. अत: इन प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रिंसिपल इन पदों पर पूर्णकालिक आधार पर काम करने तथा नीचे पैरा 5 (छ) में दिए गए तरीके से किए गए चयन के बाद प्रशिक्षण भत्ता प्रदान करने के लिए पात्र होंगे.

4. इन प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण पर पर्याप्त ध्यान देने तथा उचित पर्यवेक्षण करने के उद्देश्य से यह भी आवश्यक है कि ये प्रिंसिपल स्वंय इन केन्द्रों में उपस्थित रहे. संकाय को 15%

के प्रशिक्षण भत्ते का अनुदान इस बात के अध्यधीन होगा कि वरिष्ठ डी एम ई/डी एम ई/ए एम ई/ए ई ई/ए एस टी ई आदि प्रशिक्षण केन्द्रों का पूरा प्रशासनिक कार्यभार संभाल रहे हैं. वे सभी प्रशासनिक कार्यों के लिए मुख्य अनुदेशक को कार्यमुक्त करेंगे जो कर्मचारियों को सीधे ही प्रशिक्षण देंगे.

5. प्रशिक्षण भत्ते की मंजूरी के लिए निम्नलिखित मार्गनिदेशों का अनुपालन किया जाए :-

(क) संकाय के सदस्य, राजपत्रित तथा अराजपत्रित दोनों जिन्हें फील्ड से प्रतिनियुक्ति पर लिया गया है तथा जिनकी डयूटी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण/शिक्षा देना है, को वेतन को संशोधित वेतनमानों में मूल वेतन के 15% की दर पर "प्रशिक्षण भत्ता" प्रदान किया जाए,

(ख) उपरोक्त पैरा (क) में यथा उल्लिखित "प्रशिक्षण भत्ता" प्रदान करने के परिणामस्वरूप इन प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रतिनियुक्ति पर लिए गए संकाय सदस्यों को मौजूदा प्रशिक्षण भत्ता विशेष वेतन, प्रतिनियुक्ति वेतन एवं भत्ते स्वीकार्य नहीं होंगे.

(ग) संकाय का अर्थ है, भारत सरकार का वह "कर्मचारी" जो संकाय सदस्य के रूप में सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए किसी प्रशिक्षण संस्थान में कार्यभार संभालता है और जिसका कार्य प्रशिक्षण/शिक्षण देना होता है. इसमें इन प्रशिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य भी शामिल हैं. लेकिन, प्रशिक्षण संस्थानों के लिए सीधे तथा विशेष तौर पर भर्ती हुए संकाय सदस्य इस "प्रशिक्षण भत्ते" के पात्र नहीं हैं.

(घ) कर्मचारी, चाहे फील्ड से प्रतिनियुक्ति पर आए हों अथवा स्थानांतरित किए गए हों अथवा स्थानीय तौर पर भर्ती किए गए हों, जिन्हें प्रशिक्षण/शिक्षण देने के लिए सीधे नहीं लगाया जाता है, वे "प्रशिक्षण भत्ते" के पात्र नहीं होंगे.

(ड.) प्रशिक्षण भत्ता संकाय सदस्यों को बिना किसी अधिकतम सीमा के स्वीकार्य होगा और यह भत्ता एफ आर (9) (21) (2003(21)-आर-II में यथापरिभाषित वेतन के भाग के रूप में नहीं होगा परंतु फिर भी छुट्टी वेतन के प्रयोजन के लिए इसकी गणना की जाएगी.

(च) संकाय सदस्यों की प्रतिनियुक्ति अवधि किसी भी हालत में और किसी भी परिस्थिति में आठ वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

(छ) प्रत्येक मामले में इस भत्ते की स्वीकार्यता की जांच बोर्ड के दिनांक 29.6.2001 के पत्र सं. ई (एम पी पी)2001/19/3 सिफारिश सं.37 (आर बी ई सं.127/2001) के अनुसार गठित की जाने वाली एक उपयुक्त स्तर की समिति द्वारा की जाएगी. ये समितियां ऐसी नियुक्तियों के लिए उत्कृष्ट प्रशिक्षकों का पता लगाने के लिए कड़ी चयन प्रक्रिया अपनाएंगी. ऐसे चयनों के दिशानिर्देशों में न केवल उत्कृष्ट सेवा रिकार्डों को ध्यान में रखा जाना चाहिए बल्कि बेहतर प्रशिक्षण क्षमता तथा कार्य के प्रति रूझान को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए. अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने, विभिन्न पदों पर कार्य करते समय अपने अधीनस्थों को अपेक्षित प्रशिक्षण मुहैया कराने में उनके द्वारा दिखाए गए उत्साह तथा प्रशिक्षण से संबंधित पदों में उनकी पूर्ववर्ती नियुक्ति में उनके कार्यनिष्पादन यदि कोई हो, को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए. उपर्युक्त अनुदेशों को बोर्ड के दिनांक 16.11.1990 के पत्र सं. ई (एम पी पी)/86/13/2 के साथ पढ़े. प्रशिक्षण केन्द्र/स्कूल को तथा प्रशिक्षक को यह भत्ता स्वीकृत किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि वे उपर्युक्त दिशानिर्देशों को अवश्य पूरा करते हों. समिति द्वारा जिन प्रशिक्षकों की सिफारिश नहीं की जाती है उन्हें उनके संबंधित मूल संवर्गों में प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है. तदर्थ आधार पर नियुक्त उम्मीदवारों को यह प्रशिक्षण भत्ता तब तक अनुमेय नहीं होगा जब तक वे विनियमित नहीं हो जाते.

6. ये आदेश 1.1.2003 से प्रभावी होंगें.

7. आगे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उस समय तक जब तक स्क्रीनिंग नहीं की जाती है और संकाय सदस्यों जिन्हें उपयुक्त नहीं पाया जाता है, उन्हें उनके संबंधित मूल संवर्गों में प्रत्यावर्तित कर दिया है और ऐसे व्यक्तियों, जिन्होंने प्रतिनियुक्ति पर संकाय सदस्य के रूप में कार्य किया जाता है, को कार्यभार संभालने की तारीख अथवा 1.1.2003, जो भी बाद में हो, से प्रत्यावर्तन की तारीख तक प्रशिक्षण भत्ता दिया जाए.

8. इसे राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त है और इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है.

20/01/03

(पी. अनंत)
संयुक्त निदेशक (जनशक्ति योजना)
रेलवे बोर्ड.

HG-I

सं ई (एम पी पी)2002/13/3 नई दिल्ली, दिनांक 24.01.2003.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :

1. भारत के अपर उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा (रेलें), नई दिल्ली (10 अतिरिक्त प्रतियां)
2. विस एवं मुलेधि, मध्य, पूर्व, उत्तर, पूर्वोत्तर, दक्षिण, दक्षिण-मध्य, दक्षिण-पूर्व, पश्चिम रेलें तथा पधुका.

कृते वित्त आयुक्त रेल

सं ई (एम पी पी)2002/13/3 नई दिल्ली, दिनांक 24.01.2003.

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. महासचिव, एन एफ आई आर, 3 चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ (35 प्रतियां).
2. महासचिव, ए आई आर एफ, 4 स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ (35 प्रतियां)
3. सेक्रेटरी जनरल, एफ आर ओ ए, कमरा नं.256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ (5 प्रतियां)
4. सेक्रेटरी जनरल, आई आर पी ओ एफ, कमरा नं.268, रेल भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ (5 प्रतियां)
5. विभागीय परिषद तथा राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (90 प्रतियां)
6. सेक्रेटरी जनरल, अखिल भारतीय रेल सुरक्षा बल संघ, कमरा नं. 256, रेल भवन, नई दिल्ली-110001 को सूचनार्थ (5 प्रतियां)

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड.

HG-I